

FORM-18

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

ले-आउट योजना अनुमोदन हेतु आवेदन-पत्र

उपायुक्त / प्राधिकृत अधिकारी,
जोन-
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।
महोदय,

Photo of Applicant

सविनय ले-आउट योजना अनुमोदन हेतु आवेदन के संबंध में आवेदक की सूचना निम्नानुसार है :-

आवेदक का विवरण :	
आधार नं.	
जनआधार नं.	
आवेदक का नाम	(हिन्दी में)
	(In English)
आवेदक के पिता/पति का नाम	(हिन्दी में)
	(In English)
वर्तमान पता	----- -----
मोबाईल नं.	
आधिकारिक ईमेल आईडी	
90-A / 90-B पोर्टल की आवेदित आवेदन संख्या :-	
90-A / 90-B जारी किये जाने का क्रमांक :- 90-A / 90-B जारी दिनांक :- खातेदार का नाम :- खसरा नं0 :- ग्राम का नाम :- तहसील का नाम :- कुल क्षेत्रफल :- भूमि का उपयोग :-	नोट:- 1. निम्न जानकारीयों ऑनलाईन 90-A पोर्टल से प्राप्त की जायेगी। 2. यदि 90-A/90-B पोर्टल से Data not found मैसेज आता है तो समस्त सूचनाएं आवेदक द्वारा भरी जायेगी।
Administrative जोन	
Planning जोन	
विकासकर्ता का प्रकार	☐ जयपुर विकास प्राधिकरण ☐ निजी खातेदार ☐ सहकारी समिति

विकासकर्ता का नाम				
योजना का नाम / एकल पट्टा				
कुल भूखण्डों की संख्या				
स्वामित्व अन्तरण का आधार एवं क्रम :				
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में रजिस्ट्रेशन संख्या:-		नोट- ई-पंजीयन पोर्टल पर पंजीयन रजिस्ट्रेशन संख्या (15 Digit Numeric) का अंकित करना होगा। वर्ष 2015 से रजिस्टर्ड डाटा ए.पी.आई से ऑनलाईन संबंधित भूमि के क्रेता व विक्रेता स्वतः ही प्रदर्शित हो जायेगी।		
क्रम	दस्तावेज का नाम	दिनांक	विक्रेता का नाम	क्रेता का नाम
1.				
क्या भूखण्ड के संबंध में किसी भी न्यायालय/मंच /अधिकरण/आयोग/ अन्यत्र कोई वाद विचाराधीन है?	☐ नहीं ☐ हां (यदि हां, तो विवरण)	न्यायालय/मंच/अधिकरण/आयोग का नाम.....		
		सीएनआर संख्या		
		वाद संख्या.....		
		उनवान.....		
		वाद का विषय		

आवेदक उक्त भूखण्ड का एकमात्र भूस्वामी एवं कब्जाधारी है, भूखण्ड के ले-आउट योजना अनुमोदन में कोई विधिक विवाद/स्थगन/अवरोध नहीं है। सेवा प्राप्ति हेतु उक्तानुसार सूचना का इन्द्राज करते हुए अपेक्षित दस्तावेजात मय शपथ-पत्र संलग्न/अपलोड किये गये हैं, इनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता/फेरबदल पाये जाने की स्थिति में मेरा आवेदन प्रथमदृष्टया निरस्त किये जाने से सहमत है तथा आवेदक सेवा से संबंधित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु प्रतिबद्ध है।

अतः कृपया नियमानुसार भूखण्ड का ले-आउट योजना अनुमोदन की प्रक्रिया करवाये जाने का कष्ट करें। आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न/अपलोड करें :-

1. आवेदन पत्र में एक फोटो
2. पहचान पत्र (जन-आधार कार्ड/आधार कार्ड/मतदान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाईसेन्स)
3. 90ए/90बी का आदेश पत्र
4. आवेदित भूमि का अपना खाता पोर्टल से प्राप्त वर्तमान राजस्व जमाबन्दी (एन.आई.सी. से प्रमाणित)
5. जविप्रा सेक्टर प्लान एवं मास्टर प्लान 2011, 2025
6. ले-आउट योजना का मानचित्र
7. भूखण्ड से संबंधित अपंजीकृत/पंजीकृत विक्रय-पत्र (चैन ऑफ डॉक्यूमेंट)
8. आवेदित भूमि का गूगल मानचित्र पर अंकित

☐ मेरे द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न/अपलोड की गई है। इनमें किसी भी प्रकार का फेरबदल, भिन्नता या कूटरचना नहीं है। इनकी सत्यता के लिए मैं/हम पूर्ण रूप से जिम्मेदार हूँ।

दिनांक :

प्रार्थी

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम.....